पश्चिम हिमालय क्षेत्र के लिए जन घोषणा पत्र

अप्रैल 2019

पश्चिमी हिमालय के लिए पारिस्थितिक विकास का एक एकीकृत मॉडल

पर्वतीय क्षेत्रों को विकासात्मक समाधानों की आवश्यकता है जो सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक शक्ति पर विचार करें

क्षेत्र के लिए प्रासंगिक सुलभ और टिकाऊ आजीविका

इस क्षेत्र में आजीविका को सार्थक, टिकाऊ और 'जलवायु-प्रूफ' होने की आवश्यकता है। यहां पारिश्रमिक आजीविका की आवश्यकता है जो सुलभ हो और अनावश्यक प्रवास का विकल्प प्रदान करे

वनों और वन्यजीवों का संरक्षण जिसका नेतृत्व समुदायों द्वारा किया जाए

प्रभावी वन्यजीव और वन संरक्षण के लिए नीति और अभ्यास की आवश्यकता है जो वनवासियों के अधिकारों को मान्यता दे । वनों के जिम्मेदार सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी एक प्राथमिकता है

फैला हुआ, पर्यावरण कायम रखने और आर्थिक रूप से पारंगत पर्यटन

फैला हुआ, पर्यावरण कायम रखने और आर्थिक रूप से पारंगत पर्यटन जो सबसे बड़ी संभव संख्या के लिए हो, और क्षेत्र की वहन क्षमता का सम्मान करे - पश्चिमी हिमालय में इस ही तरह के पर्यटन की ज़रूरत है

कचरा प्रबंधन और नागरिक अनुबंध, कचरा उत्पादन को स्रोत से निपटने के लिए

पश्चिमी हिमालय में कचरे की उभरती समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए उपभोग, उत्पादन और कचरा प्रबंधन से संबंधित व्यवहार परिवर्तन की ज़रूरत है

पश्चिम हिमालय क्षेत्र के लिए एक जैन घोषणा पत्र

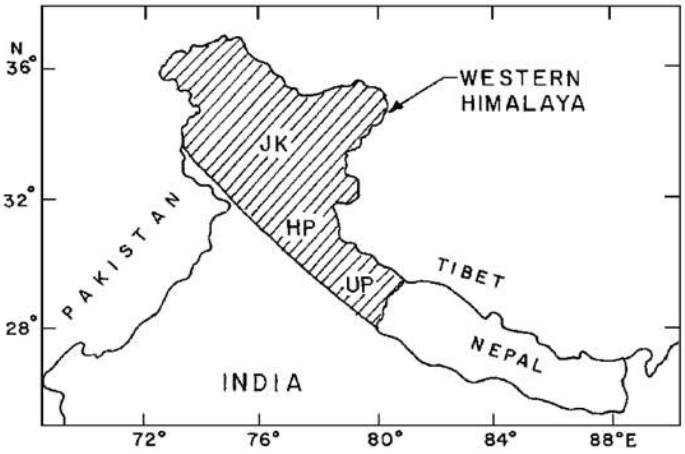

भारत के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में तीन राज्य समाहित हैं - जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड । यह अपने भूविज्ञान, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में एक अद्वितीय परिदृश्य हैं ।

संसार में सभी पहाड़ी क्षेत्र एक जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं, जबकि इनका आधार प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है ।

- अप्राप्यता / दूरी और पारिस्थितिक तंत्र की नाजुकता
- लंबे समय तक उपेक्षा के कारण कृषि में मोहभंग
- बड़े पैमाने पर पलायन, जो असमान रूप से युवाओं को प्रभावित करता है
- संस्कृतियों की विषमता और लिंग और जाति के आधार पर बहिष्कार
- विविधता आधारित पेशे और मानव अनुकूलन तंत्र
- जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का अधिक खतरा
- अरक्षणीय पर्यटन और इसके साथ होने वाले कूड़े प्रबंधन से सम्बंधित मुद्दे

हिमालय पर्वतमाला को अभूतपूर्व जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ता है । हिमालय का औसत तापमान विश्व के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है - यहाँ तक कि हिमालय में ग्लोबल वॉर्मिंग दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों से भी ज़्यादा है ।

इन तीनों राज्यों में 2.95 क्रोर लोगों के घर बसे हैं[1], और यह क्षेत्र सन्निहित परिदृश्य है (जैसा कि ऊपर दिए गए नक्शे से स्पष्ट है), हालांकि यह सांस्कृतिक रूप से सजातीय क्षेत्र नहीं है । **इस सन्निहित त्रि-राज्य क्षेत्र को एक पर्वत विशिष्ट विकास रणनीति की आवश्यकता है**, मैदानी एवं अन्य राज्यों में प्रचलित विकास से हटकर ।

---

1 2011 की जनगणना के अनुसार:
जम्मू और कश्मीर: 1.25 करोड़ (12,541,302); हिमाचल प्रदेश: 0.68 करोड़ (6,864,602); उत्तराखंड: 1.01 करोड़ (10,086,292)
कुल: 2.95 करोड़ (29,492,196)

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के लिए एक एकीकृत नीति की तत्काल आवश्यकता है ।

यह घोषणा पत्र उन संगठनों और व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है जो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं । यह एक **क्षेत्रीय रणनीति** का विवरण करता है जो **समावेशी, पारिस्थितिक विकास** की बुनियाद पे बना है । जिसमें इस परिदृश्य की नाज़ुक्ता का ध्यान दिया गया है। साथ साथ, पर्वतीय संरक्षण के प्रयास में स्थानीय समुदाय की आकांक्षाएँ भी एकीकृत हैं ।

> हिमालय श्रृंखला के लिए हमें ऐसी रणनीति के बारे में सोचना है जिससे राज्य अपने लिए एक सामान्य नीति बना सकें और दूसरों के पीछे अनुगमन न करें । यह भी स्पष्ट है कि इन रणनीतियों को क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होना होगा ।
>
> सुनीता नारायण, डाउन टू अर्थ 2015

> पहाड़ की विशिष्टताओं को विशिष्ट समाधानों की आवश्यकता है जो सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करते हैं और पहाड़ी क्षेत्र की तन्यकता को बढ़ाते हैं ।
>
> नीति आयोग, अगस्त 2018

यह **पाँच प्राथमिकता वाले क्षेत्र** पहाड़-विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए एक एकीकृत ढांचे की सलाह देते हैं।

- पश्चिमी हिमालय के लिए पारिस्थितिक विकास का एक एकीकृत मॉडल
- क्षेत्र के लिए प्रासंगिक सुलभ और टिकाऊ आजीविका
- वनों और वन्यजीवों का संरक्षण जिसका नेतृत्व समुदायों द्वारा किया जाए
- फैला हुआ, पर्यावरण कायम रखने और आर्थिक रूप से पारंगत पर्यटन
- कचरा प्रबंधन और नागरिक अनुबंध, कचरा उत्पादन को स्रोत से निपटने के लिए

1) पश्चिमी हिमालय के लिए पारिस्थितिक विकास का एक एकीकृत मॉडल

पर्वतीय क्षेत्रों को विकासात्मक समाधानों की आवश्यकता है जो सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक शक्ति पर विचार करें

हिमालय भारत के साथ-साथ शेष दक्षिण एशिया के लिए जलवायु को आकार देने में मदद करता है। वे देश की जल सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं - हिमालय के जल-स्रोत गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बारहमासी नदियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं ।

लेकिन जैसे की हिमालय संसार का सबसे जवान पर्वत श्रृंखला है, यह पृथ्वी पर सबसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक भी है । इस कारण से यहाँ अधिक क्षरण, भूस्खलन और भूकंपीय गतिविधि की संभावना है ।

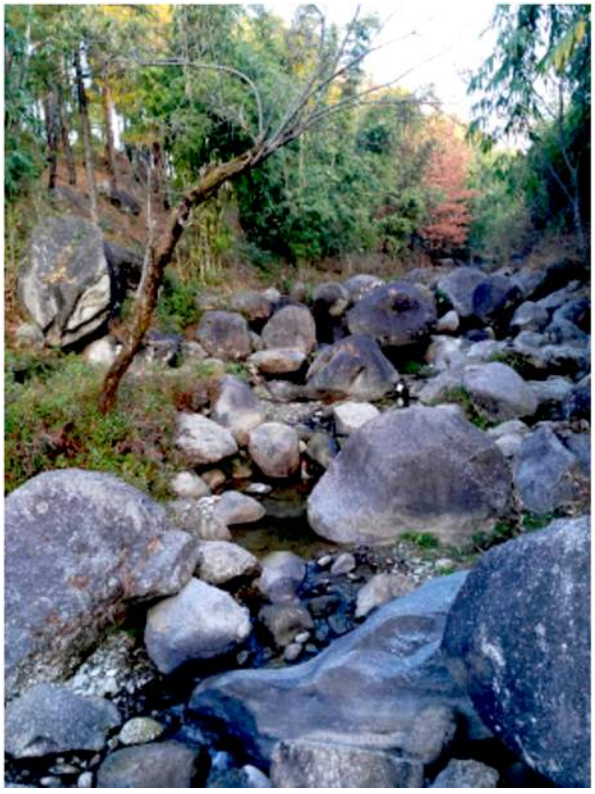

जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र के जल विज्ञान पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है । दीर्घ अवधि में, हिमालय में **जल का मिलना अनियमित** होगा - कभी सूखे की अवधि तो कभी बाढ़ का विनाश ।

अधिकांश हिमालयी गाँव पीने के पानी के लिए जल-स्रोत पर निर्भर हैं, और इन जल-स्रोत का पानी तेजी से अनिश्चित बनते जा रहा है - एक तरफ़ जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते वर्षा की प्रवृत्तियों की वजह से, और दूसरी तरफ़ पहाड़ी क्षेत्र में जल निकासी पर भूविज्ञान के प्रभाव की वजह से । साथ ही साथ, हिमनद के पिघलने से नदियों के बहाव में बढ़ाव होगा और हिमानी झील का विस्फोट का ख़तरा बढ़ेगा ।

पश्चिमी हिमालय के लिए वांछित विकास को **पारिस्थितिक स्थिरता और न्यायपरस्ता** दोनों को ध्यान में रखना चाहिए । क्षेत्र में किसी भी विकास गतिविधियों की योजना बनाते समय स्थानीय समुदायों और इसकी समृद्ध जैवविविधता दोनों को शामिल करना है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाएँ, जैसे कि पनबिजली, सड़क विस्तार और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं को इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की **भू-आकृति संबंधी स्थिति** को समाखना पड़ेगा.

1) पश्चिमी हिमालय के लिए पारिस्थितिक विकास का एक एकीकृत मॉडल

कई अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । और तो और, पर्वत पारिस्थितिकी के लिए अनुपयुक्त विकास परियोजनाएं बाढ़, विस्थापन और फैलाव के जोखिम को बढ़ाती हैं. उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2013 की बाढ़ को जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा बढ़ाव मिला था । यह देखते हुए, उन्होंने अस्थायी रूप से आगे होने वाली पनबिजली परियोजनाएं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक लगा दिया था, जब तक एक विस्तृत अध्ययन न किया जाता ।

यह सब हिमालयी समुदायों के जीवन और आजीविका के लिए एक बड़ा खतरा है - एक तरफ़ प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं की वजह से, और दूसरी ओर कृषि और अन्य प्राकृतिक संसाधन-आधारित आजीविका के पतन की वजह से।

सुझाव

- पर्वत कोई क्षेत्रीय या राजनीतिक सीमा नहीं जानते । भारत में पश्चिमी हिमालय में **क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता** है, और भारत और अन्य हिमालयी देश जैसे नेपाल और चीन के बीच सहयोग की आवश्यकता भी है ।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए सामान्य रूपरेखा और हिमालय राज्यों की भेद्यता की मूल्याँकन भी होनी चाहिए, जैसे की अभी कुछ समय पहले IIT गुवाहाटी और मंडी ने भारतीय विज्ञान संस्थान (बैंगलोर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (SDC) के साथ तैयार की ।
- **पर्यावरण और सामाजिक लागतों को कम करने के लिए** जल विद्युत विकास को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएं के प्रभाव को पहचानने की जरूरत है, ऐसी दर्जनों परियोजनाओं के प्रसार की अनुमति देने के बजाय, जैसा कि हिमाचल और उत्तराखंड में देखा जा रहा है ।

1) पश्चिमी हिमालय के लिए पारिस्थितिक विकास का एक एकीकृत मॉडल

- नदी के किनारे **निर्माण सुरक्षा मानदंडों** का कड़ाई से पालन करने के साथ-साथ समुदायों को फ्लैश फ्लड के परिणामों से बचाने के लिए **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली** की आवश्यकता होती है।
- दीर्घावधि में, हमें जल विद्युत से दूर जाने की आवश्यकता है और **सौर जैसे सुरक्षित ऊर्जा उत्पादन** के साधन को अपनाने की ज़रूरत है ।
- पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हिमालय में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र या 'ई.एस.जेड' के सामुदायिक स्वामित्व वाले संरक्षण की आवश्यकता है। यह ऐसा भी सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय समुदाय संरक्षण प्रक्रिया में निवेशित रहें ।
- क्षेत्र को तत्काल स्प्रिंग्स के सूखने से निपटने के लिए जल विज्ञान पर ध्यान देने के साथ एकीकृत और भागीदारी वाले **स्प्रिंग्सशेड विकास** और **भूजल प्रबंधन** के लिए एक नीति की आवश्यकता है, जो इस क्षेत्र में पीने के पानी का एक प्राथमिक स्रोत है। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाते हुए ऐसा करने की जरूरत है, जैसा कि इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पहले से ही हो रहा है।

- पश्चिमी हिमालय में सड़कों के निर्माण में सुधार लाने से दूरस्थ समुदायों को लाभ ज़रूर मिलेगा, पर **सड़क निर्माण स्वयं भूवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए ।** बड़े पैमाने पर सड़क विस्तार या 'आल वेथर' सड़कें जो पर्यटन और आर्थिक विकास देखते हुए बनायी जा रही है, उनको क्षेत्र की भूगोलिक स्थिति देखते हुए बनाया जाना चाहिए । इस तरह की परियोजनाओं के कारण देखी जा रही है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और पहाड़ की ढलानों की अस्थिरता से प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं, जैसे की भूस्खलन, जल स्रोतों पर प्रभाव और उत्पादक कृषि खेतों का दफन होना ।

एक उदाहरण: ऑल वेदर चारधाम मार्ग एक निरंतर पर्यावरणीय आपदा है

ऑल वेदर चारधाम मार्ग, जो स्थानीय आजीविका पर एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और अपूरणीय पारिस्थितिक क्षति का कारण बन रहा है, को रोका जाना चाहिए और स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज और वैज्ञानिकों / इंजीनियरों के परामर्श से शमन उपायों को लागू किया जाना चाहिए।

चारधाम मार्ग उन सभी का एक उदाहरण है जो हिमालय में बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं के साथ त्रुटिपूर्ण हैं - कोई आवश्यकताओं का आंकलन नहीं किया गया, उचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की कमी और पर्यावरण और निर्माण मानदंडों का पूर्ण उल्लंघन ।

2) क्षेत्र के लिए प्रासंगिक सुलभ और टिकाऊ आजीविका

इस क्षेत्र में आजीविका को सार्थक, टिकाऊ और 'जलवायु-प्रूफ' होने की आवश्यकता है। यहां पारिश्रमिक आजीविका की आवश्यकता है जो सुलभ हो और अनावश्यक प्रवास का विकल्प प्रदान करे

हिमालयी समुदायों ने पारंपरिक रूप से निर्वाह छोटे स्तर की कृषि को आजीविका के रूप में किया है। लंबे समय से सरकारी उपेक्षा के कारण **उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट** आई है। वन्यजीवों द्वारा फसल की क्षति और जलवायु परिवर्तन ने किसान के संकटों को बढ़ा दिया है। मृदा उत्पादकता में गिरावट और फसल की विफलता के कारण, **हिमालयी परिवार अपनी वार्षिक खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं** और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की तलाश करते हैं - मुख्य रूप से पलायन और कम वेतन वाले मजदूरी के माध्यम से।

दूरदराज क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के पास सीमित आर्थिक अवसर हैं, और ये भी उनके **प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं** । हालांकि छोटी दुकान खोलने, कंप्यूटर सेंटर या पर्यटन जैसे नए रास्ते धीरे-धीरे आम होते जा रहे हैं, फिर भी ये सीमित अवसर प्रस्तुत करते हैं ।

2) क्षेत्र के लिए प्रासंगिक सुलभ और टिकाऊ आजीविका

सामान्य सुझाव

क्षेत्र में कृषि को केंद्रित निवेश के साथ-साथ नीति और ज्ञान समर्थन के माध्यम से और **अधिक लाभकारी, आकांक्षात्मक और टिकाऊ** बनाने की आवश्यकता है । कृषि, वन और वन्यजीव, पानी और पशुधन के बीच के संबंधों को भी एकीकृत तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है।

जब क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि की बात आती है तो आजीविका सुरक्षा एवं **कई आय-सृजन के अवसरों की उपलब्धता** ही आदर्श समाधान है । युवाओं के लिए इन क्षेत्रों से अनावश्यक पलायन को रोकने के लिए आजीविका एक महत्वपूर्ण माध्यम होना चाहिए।

बड़े पैमाने पर पुरुष और युवा पलायन के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में महिला किसानों पर बहुत अधिक बोझ है। संस्थागत तंत्र, बाजार लिंकेज सहायता और महिला किसानों पर ध्यान देने के साथ कृषि स्तर पर बुनियादी कृषि प्रसंस्करण के लिए कौशल के माध्यम से महिला किसानों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने पे ध्यान दिया जाना चाहिए।

क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त **पारिस्थितिक आजीविका -** जैसे कि बागवानी, औषधीय पौधे, वन उपज और पर्यावरणीय पर्यटन - विविध आजीविका विकल्प प्रदान कर सकती है ।

इससे समुदाय अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएँगे और साथ ही इसका मूल्य भी करेंगे ।

2) क्षेत्र के लिए प्रासंगिक सुलभ और टिकाऊ आजीविका

विशिष्ट सुझाव

- पारंपरिक फसलों पर ध्यान केंद्रित करें जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ स्थिर आय प्रदान कर सकें और कृषि को फिर से जीवनक्षम बनाए । 'स्थानीय उगाए, स्थानीय खाए' एक आदर्श वाक्य हो सकता है कृषक समुदाय के बीच बढ़ावा देने के लिए ।
- अन्न के अधिशेष उत्पादन के बजाय एक प्रीमियम पर अद्वितीय उत्पादों का विपणन किया जा सकता है। कुछ हिमालयी समुदाय जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभी से ही पारंपरिक फसलों की ओर लौटने लगे हैं।

- **युवा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं** की समझ में सुधार की ज़रूरत है, ताकि उनके लिए व्यवहार्य और सुलभ आजीविका का समर्थन किया जा सके। इस से वह नौकरियों और करियर की तलाश में आसपास के शहरों में पलायन कम करेंगे ।
- बागवानी, फूलों की खेती और डेयरी आधारित उद्यमों के माध्यम से **आजीविका के विविधीकरण** को बढ़ावा देना ताकि वह बाहरी झटके और तनाव से बचे रहें ।
- स्थानीय संस्कृति या पारिस्थितिकी को नष्ट किए बिना आजीविका को बढ़ाने वाली अन्य स्थायी आर्थिक गतिविधियों का अन्वेषण बड़े पैमाने पर लाने के लिए करें । क्षेत्र भर में विभिन्न समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा छोटे पैमाने पर संचालित की जाने वाली गतिविधियों का समर्थन करें।
- **पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों** को पुनर्जीवित करें और जैविक खेती, जैव-विविधता आधारित कृषि और कृषि-पारिस्थितिकी की प्रथाओं को आगे बढ़ाएँ । क्षेत्र में किसानों द्वारा अपनाई जा रही प्रथाओं के लिए ज्ञान प्रसार और समर्थन प्रदान करें, जैसे कि फसल गहनता प्रणाली (एससीआई)।
- **स्व-रोजगार और उद्यमिता** के विकास का समर्थन करें। इससे क्षेत्र में **स्थानीय नौकरियां** पैदा होंगी।
- **भूमिहीन और सीमांत भूमिधारकों** को वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अनुभवी स्वैच्छिक संगठन इस प्रक्रिया में भागीदारों के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

3) वनों और वन्यजीवों का संरक्षण जिसका नेतृत्व समुदायों द्वारा किया जाए

प्रभावी वन्यजीव और वन संरक्षण के लिए नीति और अभ्यास की आवश्यकता है जो वनवासियों के अधिकारों को मान्यता दे । वनों के जिम्मेदार सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी एक प्राथमिकता है

भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण काफी हद तक वन कानून के पांच प्रमुख टुकड़ों द्वारा नियंत्रित किया जाता है - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972), भारतीय वन अधिनियम (1927), वन संरक्षण अधिनियम (1980), जैविक विविधता अधिनियम (1980) और वन अधिकार अधिनियम (2006)।

केवल वन अधिकार अधिनियम (2006) के अलावा - जो कि वनवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग करता है - केंद्र और राज्य द्वारा लागू किए गए वर्तमान कानून, बड़े पैमाने पर **वनवासियों और स्थानीय समुदायों को वनों और वन्यजीवों के संरक्षण पर निर्णय लेने से बाहर रखते हैं**।

इस पद्दती की वजह से :

- वनवासी और स्थानीय समुदायों के बीच व्यापक असंतोष और स्वामित्व की कमी है
- वनवासी और स्थानीय समुदायों - दोनों ग्रामीण और शहरी - की तरफ़ से वन विभाग के प्रति अलगाव की भावना भी पैदा हो चुकी है, जबकि वन विभाग का कार्य है वन और वन्यजीव की सुरक्षा करना
- मानव-वन्यजीव संघर्ष में काफ़ी वृद्धि हो गयी है, जिन्हें टुकड़ों में संबोधित किया जा रहा है बिना वनवासी और स्थानीय समुदायों को शामिल करे
- बड़ी विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, बिना पारदर्शी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के और बिना प्रभावित लोगों के साथ उचित परामर्श करके - इस से विशाल पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभाव हो रहे हैं ।

सामान्य सुझाव

हम यह प्रस्ताव देना चाहते हैं कि वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्णय लेने वाले लोगों का नेतृत्व लेना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। विकास परियोजनाओं को अवधारण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पहले मूल्याँकन करके प्रयोजन ना जाना जाए, और लागू अगर कर दिया गया तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पर पूरा ध्यान दिया जाए । संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी बहुत जरूरी है।

3) वनों और वन्यजीवों का संरक्षण जिसका नेतृत्व समुदायों द्वारा किया जाए

विशिष्ट सुझाव

- स्थानीय समुदायों और वनों में रहने वाले निवासियों को वहाँ का कोई भी **फ़ैसला लेने में भागीदार** बनाया जाए
- सुनिश्चित करें कि पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालयी क्षेत्र में बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं के उचित मूल्यांकन और प्रभाव का आकलन किया जाए।
- **सम्बंधित समुदाय से जुड़े संस्थान** को पुनर्जीवित करना, जैसे की वन पंचायत, संरक्षण प्रबंधन कमिटी इत्यादि और इनको और प्रभावी बनाना । वर्तमान में, इनमें से अधिकांश निकायों को वन विभागों द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है, स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी और सशक्तिकरण के साथ ।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करना**, विज्ञान आधारित निर्णय लेकर और स्थानीय समुदायों को शामिल करके ।

- पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से स्थायी पारिस्थितिकवाद में स्थानीय समुदायों और वनवासियों को मालिक या भागीदार बनाकर संरक्षण को बढ़ावा देना। बड़े जानवरों के वन्यजीव पर्यटन से हटकर **कम प्रसिद्धि वाले छोटे वन्यजीव और वनस्पति पर ध्यान** आकर्षित करें
- वन विभाग को सभी संरक्षण कार्रवाई के लिए **विज्ञान आधारित निर्णय** लेने चाहिए और **शोधकर्ताओं और समुदायों** की मदद भी लेनी चाहिए
- **निजी वन भूमि और रियासतों के जंगल**, जो आजादी के बाद से वन विभाग के साथ हैं, का स्वामित्व स्थानांतरित करें और स्थानीय समुदाय को दिए जाए ताकि ग्राम वैन के रूप में शासित किया जाएँ
- सुनिश्चित करें कि **वन अधिकार अधिनियम (2006)** को वनवासी समुदाय को शामिल करके सभी क्षेत्रों में अपनी इच्छित भावना से लागू किया जाए

4) फैला हुआ, पर्यावरण कायम रखने और आर्थिक रूप से पारंगत पर्यटन

पश्चिमी हिमालय में कचरे की उभरती समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए उपभोग, उत्पादन और कचरा प्रबंधन से संबंधित व्यवहार परिवर्तन की ज़रूरत है

सभी रूपों में पर्यटन (प्रकृति से जुड़े, साहसिक, धार्मिक, ग्रामीण, आदि) पश्चिमी हिमालय के कच्छ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आजीविका प्रदान करते हैं।

पश्चिम हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को देखते हुए, हम प्रस्ताव देते हैं कि आगे बढ़ते हुए, स्थायी या जिम्मेदार इकोटूरिज्म का पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में प्रचार किया जाए - जैसे की NITI आयोग द्वारा अनुशंसित हुआ (अगस्त 2018), जिसमें स्थानीय समुदायों के लिए समान रूप में लाभ प्राप्त हों ।

सामान्य सुझाव

इकोटूरिज्म पश्चिमी हिमालय में अपनाए जाने वाले पर्यटन का एकमात्र रूप होना चाहिए। क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर कम दबाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पर्यटन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

संबंधित राज्य सरकार के विभागों के समर्थन से, सभी तीन पश्चिमी हिमालयी राज्यों के स्थानीय समुदाय **पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए नियम और कानून तैयार करेंगे**, अन्य हितधारकों जैसे कि पर्यटन व्यवसायी और गैर-लाभकारी संगठनों के परामर्श से । इनमें कचरे को कम करने, और क्षेत्र में पर्यटन के लिए वहन क्षमता को मूल्यांकन और उसको विनियमित करने के लिए नियम शामिल होंगे।

4) फैला हुआ, पर्यावरण कायम रखने और आर्थिक रूप से पारंगत पर्यटन

विशिष्ट सुझाव

- **कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली सुविधाओं** जैसे कि ग्रामीण होमस्टेय को बढ़ावा देना होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी सुविधाओं का निर्माण कम से कम किया जाना चाहिए।
- इकोटूरिज्म का ध्यान आगंतुकों और स्थानीय लोगों के लिए एक सकारात्मक अनुभव सुनिश्चित करना होगा।

- **समुदाय आधारित ईकोटूरिज्म** को मान्यता दी जाएगी और उसे बढ़ावा दिया जाएगा जो :
  - स्थानीय लोगों की भलाई का समर्थन करता है
  - स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन करता है
  - स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के स्वामित्व और प्रबंधित उद्यमों (बाहरी स्वामित्व पर प्रतिबंध / प्रतिबंध) को बढ़ावा देता है
- संरक्षित क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों, **कम ज्ञात जीव और वनस्पति से जुड़े पर्यटन** का समर्थन किया जाएगा, जैसे की विहंगमदृश्य और तितली आधारित पर्यटन.
- इकोटूरिज्म के लिए **20 चयनित स्थानों के विकास** को स्थानीय समुदायों, इकोटूरिज्म चिकित्सकों और गैर-लाभकारी संगठनों की साझेदारी के साथ निष्पादित किया जाएगा।
- टूर गाइड और वनीकरण, मिट्टी संरक्षण और संसाधन बढ़ाने वाली गतिविधियों जैसे गतिविधियों में शामिल होने से **संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी** का समर्थन किया जाएगा।

5) कचरा प्रबंधन और नागरिक अनुबंध, कचरा उत्पादन को स्त्रोत से निपटने के लिए

पश्चिमी हिमालय में कचरे की उभरती समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए उपभोग, उत्पादन और कचरा प्रबंधन से संबंधित व्यवहार परिवर्तन की ज़रूरत है

पूरे देश में, हमारी पुरानी कूड़ा प्रबंधन प्रणाली बढ़ती आबादी और खपत की बराबरी करने में संघर्ष कर रही हैं।2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत ने बुनियादी मुद्दों पर प्रकाश डाला, और नीतियां धीमी गति के साथ उभरीं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), ने भी, अपने सुझाव जारी किए जो कि 2015 के एक NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के ऑर्डर के अनुपालन में थे जोकि नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन (मूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मनिजमेंट) पर थे.

परंतु, केंद्रीय नीतियों का ध्यान छोटे वार्ड और गाँव स्टार पर कम है. विकेंद्रिया स्तर पर नीतियों को लागू करने की कमी, ढंग से देख रेख न करना, ख़राब तरह से प्रवर्तन न करना, आदि की वजह से इन मूल चुनौतियों को सुलझाना और भी कठिन बन जाता है - ख़ास तौर पर व्यावहारिक बदलाव को देखा जाए तो - पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में.

सामान्य सुझाव

सफल कचरा प्रबंधन कचरे के स्त्रोत पर शुरू होता है - जो लोग इसे उत्पन्न करते हैं। इसलिए, पहले स्त्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन के मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है, फिर कचरा प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं के सुधार पर ।

जबकी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय 'महुआ' के दिशानिर्देश ने कहा है की - "हर तरह के विकल्पों और तकनीकों में से कूड़े के स्त्रोत पर को गीले और सूखे कूड़े को अलग करना की सफलता की कुंजी है", अगर लोग समहजेंगे नहीं की उनका क्या या कैसे करना है तो, पहला क़दम ही सबसे कमज़ोर क़दम बन जाता है.

विशिष्ट सुझाव

- जनता को बुनियादी तौर पर कूड़ा प्रबंधन के लिए जागरूक करना, इस सिलसिले में पूरा भार सरकार पे डालने के बजाय, जनता के द्वारा सृजत कूड़े से निपटने के लिए व्यक्तिगत नागरिक का उत्तरदायित्व उसे बताना होगा
- वयस्कों को सामुदायिक स्तर पर कूड़ा प्रबंधन ट्रेनिंग देना और वैसे ही बच्चों को विध्यालयों में कूड़ा प्रबंधन से सम्बंधित अधिगम गतिविधियों को करना

5) कचरा प्रबंधन और नागरिक अनुबंध, कचरा उत्पादन को स्त्रोत से निपटने के लिए

- स्थानीय समुदाय की भागीदारी बना कर सीधा कार्य पर लगाना, सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश के बावजूद गंदे सार्वजनिक स्थान, जो अभी भी मौजूद हैं, को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। जगह को साफ सुथरा व सुन्दर बनाने से सबसे ज्यादा उन पर असर पड़ेगा जो कूड़े के होने पर प्रभावित होते हैं– जैसे वे लोग जो कूड़े के बहुत पास रहते हैं– वे लोग सफाई की क्रिया में शामिल हों और स्थानीय स्वामित्व की भावना को महसूस करना शुरू कर सकते हैं।

- नगरीय सोसायटियां और सरकारी निकायों में दीर्घ कालिक भागीदारी को मजबूत करना। प्रत्येक समुदाय के सन्दर्भ में केन्द्रीय नीतियों को कुशल और जवाबदेह तरीके से क्रियान्वन किया जा सकता है। ऐसा करने से हमें अभिनव, बढ़ावा देने वाली, विस्तृत एकीकृत, सूचनात्मक दृष्टिकोण मिल सकता है जो नीति दोनों स्थानीय समुदाय और भागीदारों द्वारा समर्थित की जाती है।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए यह जन घोषणा पत्र हिमाचल प्रदेश के जगोरी के तारा रीट्रीट कैंपस में 11-14 नवंबर 2018 में आयोजित पश्चिमी हिमालयी विकास संगम में चर्चा से उभरा है ।

पश्चिमी हिमालय संगमों की श्रृंखला में दूसरा, इस संगम की सह-मेजबानी की गई थी इन संस्थाओं से:

जगोरी ग्रामीण, पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट, स्नो लेपर्ड कंजरवेंसी-इंडिया ट्रस्ट, लद्दाख आर्ट्स एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन (LAMO), सम्भावना, MOOL सस्टेनेबिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, तितली ट्रस्ट, माटी कलेक्टिव, SADED, SRDE और कल्पवृक्ष.

अधिक जानकारी के लिए, यह रिपोर्ट इस संगम पर चर्चा का दस्तावेजीकरण करती है।.

न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और सतत भारत के लिए राष्ट्रीय स्तर के लोगों के घोषणापत्र से प्रेरित होकर, यह क्षेत्रीय घोषणापत्र उन विशिष्ट मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद करता है जो पश्चिमी हिमालयी परिदृश्य में आम हैं, और तीन राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पर्वतीय विकास पर एक क्षेत्रीय ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करते हैं।

यह घोषणापत्र आगामी राष्ट्रीय चुनावों के संबंध में राजनीतिक दलों को भेजा जा रहा है, लेकिन यह केवल इस उद्देश्य के लिए नहीं है; यह राज्य / स्थानीय चुनावों, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के साथ वकालत, और अपने स्वयं के कामों के लिए एक संदर्भ प्रदान करने और काम करने के तरीकों सहित अन्य मंचों पर उपयोग के लिए भी है।

कृपया इस घोषणापत्र का उपयोग करें, प्रसारित करें और प्रचार करें, जैसा कि आप उचित समझते हैं। अतिरिक्त समर्थन भी सबसे स्वागत योग्य हैं - कृपया उन्हें सीधे राजनीतिक दलों को भेजें, और निम्नलिखित की प्रतिलिपि बनाएँ:

आद्या सिंह	aadyasingh@gmail.com
संजय सौंधी	sanjay.sondhi1@gmail.com
बीजू नेगी	negi.biju@gmail.com
रोशन राठौड़	roshi.rathod@gmail.com
विजय जडधारी	+91 94117 77758

The Vikalp Sangam process is a platform to bring together movements, groups and individuals working on just, equitable and sustainable pathways to human and ecological well-being. It rejects the current model of development and the structures of inequality and injustice underlying it, and searches for alternatives in practice and vision. Over 50 movements and organisations around the country are involved. For more: http://www.vikalpsangam.org/about/

इस मेनिफेस्टो के अंतरणकर्ता सदस्य

संगठन

बीज बचाओ आंदोलन (उत्तराखंड)

हिमालय बचाओ समिति (हिमाचल प्रदेश)

शून्या (हिमाचल प्रदेश)

सदस्य

आभा भैया

कुलभूषण उपमन्यु

सोनम वांगचुक

सुभाष मेंधापुरकर

ताशी मोरुप

त्सावांग डोलमा

त्सावांग नमगेल

पश्चिमी हिमालय विकास संगम कोर ग्रुप

आद्या सिंह, संजय सौंधी, रौशन राठौड़, बीजू नेगी, विजय जडधारी

जगोरी ग्रामीण (हिमाचल प्रदेश)

कल्पवृक्ष (महाराष्ट्र)

लद्दाख आर्ट्स एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन

पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट (उत्तराखंड)

तितली ट्रस्ट (उत्तराखंड)

CORD सिद्धभारी (हिमाचल प्रदेश)

स्नो लेपर्ड कंजरवेंसी-इंडिया ट्रस्ट (लदाख)

वेस्ट वारियर्स (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश)

स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल एंड कल्चरल मूवमेंट अव लदाख